अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डौन सिटी जिला करौली

ओमवती बनाम जयदेई वगैराह

किस्म मुकदमा –प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 02/2019

अदालत तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
7-9-2021	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील सायला ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है तथा गैरसायल सं0 2 व 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है तथा इकवाली जबाव प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। शेष गैरसायलान बाजवूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील सायला ने प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1637/817 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसमें मुताविक जमाबन्दी सं0 2071–74 सायला का 1/24 व गैरसायल सं01 का 25/39 व गैरसायल सं0 2 का 33/208 हिस्सा व गैरसायल सं03 का 33/208 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजीयात से गैरसायल सं04 का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है जबरदस्ती प्लाट काटना चाहता है। उक्त आराजीयात का मुताविक हिस्सानुसार कोई विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। गैरसायल सं04 झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है जो आये दिन सायला को उसके हिस्से में शान्ति पूर्वक काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं एवं सायला के हिस्से को जबरदस्ती हडप कर उसे उसके हिस्से बेदखल करना चाहते हैं। बाका दिनांक 08.01.2019 को सायला ने उक्त जमीन के विधिवत बंटवारे की गैरसायल सं01 ता 3 से कहा तो उन्होंने मना कर दिया एवं गैरसायल सं04 ने धमकी दी कि मैं तुम्हें तुम्हारे स्सिे में काश्त नहीं करने दूंगा। भूमि को नाकाबिल काश्त बना दूंगा। गैरसायल सं04 को समझाने के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायला के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द फरमाया जावे। गैरसायल सं02 व 3 ने इकवाली जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा सायला का प्रार्थना [illegible]कार किये जाने का निवेदन किया है। वकुलाय फरीकेन की बहस [illegible] किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1637/817 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन की खातेदारी ओमवती पुत्री चौथी हि01/24, जयदेई पत्नि प्रहलाद हि0 25/39, जलसिंह पुत्र चौथी हि0 33/208, भगवानसिंह पुत्र चौथी हि0 33/208 जाति जाटव सा0 ढिंढोरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.12.17 14:34:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डौन सिटी जिला करौली

ओमवती बनाम जयदेई वगैराह

किस्म मुकदमा –प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 02/2019

अदालत तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात में सायला हि0 1/24 भाग की खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के गैरसायल सं01 ता 3 मुताविक जमाबन्दी में दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार है। गैरसायल सं02 व 3 ने इकवाली जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। गैरसायल सं04 का उक्त विवादित आराजीयात से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना प्रतीत नहीं होता है। ऐसे हालात में यदि गैरसायलान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द कर दिया जावे तो उससे गैरसायलान के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पडने की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि स्वंय गैरसायल सं02 व 3 प्रार्थना पत्र सायला को स्वीकार कराना चाहते हैं। इस प्रकार प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का सन्तुलन सायला के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1637/817 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ में सायला के हिस्सा 1/24 भाग की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। सायला को उसके हिस्से की भूमि के उपयो उपभोग में किसी प्रकार की वाधा उत्पन्न नहीं करें। गैरसायलान ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे सायला के हक, हकूकों [illegible] प्रभाव पडे। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये [illegible] पत्र[illegible] फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर [illegible] दावा के साथ शामिल मिसल रहे। आदेश खुले न्यायालय [illegible] सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.12.17 14:34:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner